

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी पदों के लिये राजस्थान के 2 संतान के नयिम को बनाये रखा चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार पाने के लिये राजस्थान सरकार के दो संतान की पात्रता मानदंड को बरकरार रखा है तथा नरिणय सुनाया है कथिह भेदभावपूरण नहीं है और ना ही संवधान का उल्लंघन नहीं करता है।

मुख्य बदि:

- राजस्थान वभिनिन सेवा (संशोधन) नयिम, 2001 उन उम्मीदवारों को सरकारी पद पाने से रोकता है जनिकी दो से अधिक संतान हैं।
 - शीरष न्यायालय ने दो-संतान के मानदंड को बरकरार रखते हुए पूरव सैनकि रामजी लाल जाट द्वारा दायर अपील को खारजि कर दिया, जनिहोंने वर्ष 2017 में सेना से सेवानवृत्ति के बाद 25 मई, 2018 को राजस्थान पुलसि में कांस्टेबल के पद के लिये आवेदन कथिा था।
 - पीठ ने कहा किराजस्थान पुलसि अधीनस्थ सेवा नयिम, 1989 के नयिम 24(4), जो कहता है किरा“कोई भी उम्मीदवार सेवा में नयिुक्ता के लिये पात्र नहीं होगा, जसिके 1 जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक संतान हैं, यह भेदभावपूरण नहीं है और संवधान का उल्लंघन नहीं करता।
- न्यायालय ने माना किवरगीकरण, जो दो से अधिक जीवति संतान होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषति करता है, गैर-भेदभावपूरण और संवधान के दायरे से बाहर है, क्योककि प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नयिोजन को बढावा देना था।